पत्र संख्या–15/सी 3–30/2014- 1389
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

FAX

विशेष कार्य पदाधिकारी,
उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना,दिनांक 21/7/14

विषयः– श्री नीरज कुमार, माननीय स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद् के 177 वें सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ई0–137 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री नीरज कुमार, माननीय स0वि0प0 द्वारा प्राप्त बिहार विधान परिषद् के 177 वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–137 की टंकित प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त प्रश्न पर कंडिका वार उत्तर तैयार कर यथा आवश्यक पूरक सामग्री के साथ दो दिनों के अन्दर विशेष दूत/फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,

21/7/14

विशेष कार्य पदाधिकारी
उच्च शिक्षा,

बिहार विधान परिषद् के लिए 177 वें सत्र के लिए नीरज कुमार माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या ई०–137		माननीय मंत्री श्री वृषिण पटेल, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		
प्रश्न		उत्तर
(क)	क्या यह सही है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्त लेक्चरर (व्याख्याता) जो प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हत्ता रखते हैं कों चार वर्षों के सेवा के उपरांत सिनियर लेक्चरर एवं पुनः पांच वर्षों के सेवा के उपरांत एसोसिएट प्रोफेसर में प्रोन्नति दी जानी है,	
(ख)	क्या यह सही है कि मगध विश्वविद्यालय में वर्ष 1996 में नियुक्त कुछ लेक्चरर को प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता रखने एवं 18 वर्षों के सेवा के उपरांत भी मात्र एक प्रोन्नति दी गई है,	
(ग)	यदि उपर्युक्त खंड ''क'' एवं ''ख'' का उत्तर स्वीकारातम्क है तो क्या सरकार खंड ''ख'' में वर्णित द्वितीय प्रोन्नति से संचित लेक्चरों की संख्या से सदन को अवगत कराना चाहती है, एवं इन्हें कब तक द्वितीय प्रोन्नति देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यो ?	